

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ३०प्र०, लखनऊ।

संख्या-४डी(१)/मृ०आ०/क०स०/२६/२०२३/

लखनऊ: दिनांक: ०१ /१२/२०२३

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व० श्री शुभम गिश, वार्ड ब्लाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवतीपुर, गाजीपुर अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर की गृह्य दिनांक १५.०६.२०२३ को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती रत्ना मिश्रा की नियुक्ति गृहक आश्रित के रूप में गृहक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली १९७४, यथा संशोधित अधिनियम, ३०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-४ के पत्रावली सं०-५-४०९९/९०१/ २०२२-४-१/३६८६४७/२०२३, दिनांक १४.०८.२०२३ के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-६ (II), दिनांक २७.१२.२०२२, द्वारा प्राख्यापित “उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली २०२२” में निहित प्राविधान के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर की संस्तुति पत्र संख्या-मु०चि०३०/ मृ०आ०समा०/२०२३-२४/३७०२, दिनांक ०६.१०.२०२३ तथा प्रकरण में किये गये अन्य पत्राचार एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन रैंड रु० ५२००-२०२०० एवं घेड वेतन रु०-२०००/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-३) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में “उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्य कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-१९९४” के अन्तर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् खत: निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से माव्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानायार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरूप्यता प्रमाण पत्र।
 - (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली-२०२२, कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-६/१२/७३-का-२-२०२२/टी०सी०-६ (II), दिनांक २७.१२.२०२२ में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अहता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०५००५००१०सी०सी० सोसासठी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में २५ शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि वढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्रीमती रत्ना मिश्रा, पत्नी स्व० श्री शुभम मिश्र अपने परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।

११फ्र०८७९२
०७/१२/२३

IT Cell / Dr Shyam
6-12



8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किरी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रगाण-पत्र को मूल प्रगाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रगाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्रीमती रत्ना सिंह की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन गाह अकबर, 2024 के अंतिम कार्यादिवस में महानिदेशालय स्तर पर गिरित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्बन्ध किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यवितरण रूप से रुचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्त पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्रीमती रत्ना सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्रीमती रत्ना सिंह के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा० राजागणपति आर०)

आई०ए०ए०स०

निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/म०आ०/क०स०/२६/२०२३/ ६९८५ - ९५ तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ३०प्र० प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, ३०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ३०प्र०।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९ एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की रियति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर।
9. श्रीमती रत्ना मिश्रा, पत्नी ख्व० श्री शुभम मिश्र, वार्ड ब्लाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवतीपुर, गाजीपुर, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर, निवासी ग्राम- सेमरौल, पोरट- मंगारी, जनपद- गाजीपुर। (पंजीकृत डाक द्वारा)
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

१०.१२.२०२३
(डा० रजना ऊरे)

अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)